

2018/00353

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

महोदय जी

निवेदन है कि ग्राम को जमाबंदी संवत 2072-75 के खाता संख्या में प्रार्थी

का नाम जाति रामपुरा दर्ज है | जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम जाति चमाल दर्ज है | अतः उक्त खाते में प्रार्थी का

नाम जाति चमाल दर्ज है | अतः उक्त खाते में प्रार्थी का

नाम जाति चमाल के बजाय नाम जाति चमाल दर्ज किया जाना

उचित है। नाम जाति चमाल के बजाय नाम जाति चमाल दर्ज किया जाना

[Signature]

सुरेश कुमार चौधरी
पटवारी प.म. रामपुरा

11/6/18
GLR-P. J. Jmml

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार, जिला-भीलवाड़ा

स्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार-2018

रिपोर्ट पटवारी काच I.L.R संगोष्ठा लोकार्गन मौजूद है।

[Signature]
तहसीलदार
फुलियाकलाँ, जिला-भीलवाड़ा

पुं.सं. 379/18

कैम्प सहायी - दिनांक 12/6/18

राजस्व लोक अदालत अभियान
आदेश
"न्याय आपके द्वार-2018"

हस्त रिपोर्ट तहसीलदार फुलिया कलाँ के ग्राम रामपुरा की
जमाबंदी संवत 2072-2075 के खाता सं. 89 में दर्ज चमाल
के बजाय चमाल दर्ज किये जाने के आदेश दिया जाता है।

पालनार्थ तहसीलदार फुलिया कलाँ को भेजा है।



[Signature]
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
फुलिया कलाँ
फुलिया कलाँ, जिला-भीलवाड़ा